उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची

गुरूवार फाल्गुन 30, शक संवत्, 1923
(दिनांक : 21 मार्च, 2002)

समय : 11:00 बजे पूर्वाहन्

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी–**क**)

2. प्रश्नोत्तर (नत्थी–**ख**)

3. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरूद्धीकरण व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

4. विशेषाधिकार के प्रश्न, यदि कोई हों।

5. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

6. कार्यस्थगन का प्रस्ताव यदि कोई हो।

7. उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम–315 के खण्ड (23) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणाऐं, यदि कोई हों।

8. कृषि मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

9. कृषि मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 को पारित किया जाय।

10. श्री दिनेश अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः–

"यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2002 को दिये गए अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है"

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

11. नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें, यदि कोई हों।

देहरादून।
दिनांक : 21 मार्च, 2002

आज्ञा से,

(महेश चन्द्र)
सचिव।

उत्तरांचल विधान सभा

नत्थी (ग)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन

क.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1.	श्री भगत सिंह कोश्यारी, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्री गोविन्द लाल श्री मदन कौशिक, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री मालचन्द्र, श्री सुरेश चन्द्र, श्री प्रकाश पन्त, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्रीमती विजय बडथ्वाल, श्री महेन्द्र भट्ट, श्री अनिल नौटियाल, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री अरविन्द पाण्डे, श्री हरबन्स कपूर, श्री अजय भट्ट (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जायः– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया" :– 1. राज्य की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था में सुधार लाने हेतु किसी विशेष प्रभावी उपाय की घोषणा किये जाने, 2. आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु किसी प्रभावी योजना की घोषणा किये जाने, 3. राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों, विभिन्न निगमों के कर्मचारियों तथा राज्य में सेवारत सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मचारियों का पंचम वेतन आयेग की संस्तुति के अनुसार केंन्द्र के समान वेतन दिये जाने और एल0टी0सी0 नगदीकरण इत्यादि सुविधायें प्रदसान किये जाने, 4. राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाने हेतु पूर्व में घोषित योजनाओं के कियान्वयन तथा प्रभावी नीति बनाने, 5. उद्योग, पर्यटन, रोजगार, शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व में घोषित परियोजनाओं के कियान्वयन करने, 6. राजस्व पुलिस की सेवा शर्तों में सुधार करने तथा उन्हें अधिक सुविधा व अधिकार देकर दुरस्थ ग्रामीण अंचल में कानून व्यवस्था ठीक करने, 7. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में माननीय विधायकों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 50 कि0मी0 नवीन मोटर मार्ग निर्माण, 20 कि0मी0 डामलीकरण, 5 झूलापुल, 5 नवीन इण्टरमीडिएट, 5 नवीन हाई स्कूल, 5 स्वास्थय उपकेन्द्रों की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार दिये जाने, 8. राज्य में चिकित्सा व्यवस्था सुधार हेतु पृथक चिकित्सा नीति बनाये जाने,

—2

क.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		24. हरिद्वार कोटद्वार रामनगर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने,
		25. टिहरी बांध विस्थापितों के लिए पिछली सरकार द्वारा केन्द्र से प्राप्त भूमि को तुरन्त विकसित कर विस्थापितों का पुनर्वास के संबंध में।
		26. उत्तर प्रदेश सरकार से गंगा मैनेज्मेन्ट केन्द्र की जगह उभय पक्षी बोर्ड बनाने,
		27. ड्रिलिंग द्वारा प्रत्येक जनपद में 500 हैण्डपम्प लगाने,
		28. शिक्षा बन्धु, शिक्षा मित्र व विजिटिंग फैकल्टी के अध्यापकों को नियमित करने,
		29. उधमसिंह नगर व हरिद्वार में नये अनाज भण्डार गृह खोलने के संबंध में,
		30. चीनी मिलों को आत्म निर्भर बनाने के लिए को–जेनेरेशन योजना शुरू करने,
		31. पर्यटन विकास के लिए कोटद्वार, पौड़ी, दूधातोली–पिंडर तथा रानीखेत, नैनीताल, मानीला, कौसानी, ग्वालदम, चौकड़ी–पाताल भुवनेश्वर, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, पूर्णागिरी परिपथ विकसित करने,
		32. गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन देने,
		33. होम–गार्ड के वेतन में प्रतिदिन 50/– रू0 की वृद्धि करने के संबंध में।
2.	श्री काशी सिंह ऐरी (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जायः– "किन्तु मुझे खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया है" :–
		1. स्थायी राजधानी का चयन एवं उसका निर्माण।
		2. उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी कर्मचारी एवं शिक्षकों को अविलम्ब कार्यमुक्त कर उत्तर प्रदेश भेजे जाने तथा उनकी जगह पर शिक्षित–प्रशिक्षित बेरोजगारों को नियुक्त किये जाने।
		3. प्रदेश की सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक संरचना अक्षुण रखने एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए संविधान के अनुच्छेद–371 के अन्तर्गत विशेष प्राविधान किये जाने के संबंध में केन्द्र सरकार का संस्तुति।
		4. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान रामपुर तिराहा (मु0नगर) कांड के दोषी अधिकारियों को दंडित किये जाने हे संबंध में।

—4

क.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2. जनपद रूद्रप्रयाग में इंजिनियरिंग कालेज खोलना।
		3. जनपद रूद्रप्रयाग में मालटा का जूस निकालने का कारखाना लगाना।
		4. जखोली में पूर्ण तहसील बनाना।
		5. उत्तरांचल में मद्य निषेध लागू करना।
		6. उत्तरांचल में फल पट्टी योजना को बनाना।
		7. भारतीय वन संरक्षण अधिनियम को विकास कार्यों के लिए लचीला बनाना।
		8. चिरबटिया में राजकीय आलू फार्म खोलना।
		9. उत्तरांचल के आर्थिक विकास हेतु व्यवसायिक खेती, बेमौसमी सब्जी उत्पादन फल पट्टी योजना, मतस्य पालन योजनाओं पर बल देना।
		10. बेरोजगारी को दूर करने हेतु रोजगार परक योजनाओं को चलाना।
		11. महिला कल्याण कार्यक्रम पर बल देना।
		12. उत्तरांचल में बन्द पड़ी योजनाओं पर पुनर्निर्माण शुरू कराना।
		13. बेसिक पाठशाला से लेकर महाविद्यालयों में अध्यापको के रिक्त पदों पर भर्ती करना।
		14. लिफ्ट सिंचाई योजना धारकोट तल्ला नागपुर का निर्माण कार्य पूर्ण कराना।
		15. लिफ्ट पेयजल योजना जवाडी कांडा क्वीलाखाल भरदार, भैंसगांव, तल्लानागपुर नगलासूँ (रानीगढ़) का निर्माण कराना।
		16. सतनी (सौराखाल) भरदार, बुडोली (सिलगढ़) आरस्यूँ बछरगस्यूँ ढौडिक तल्ला नागपुर में जनता को पेयजल की सुविधा देना।
		17. खाकरा कान्डई खेड़ाखाल मोटर मार्ग नगरासू जसोली डांडा मोटर मार्ग, मयाली रणधार मोटर मार्ग, तिलवाड़ा सौराखाल मोटर मार्ग का डामरीकरण कराना।
		18. लस्यूँ नदी में मठियाणा (सिलगढ़) अलकनन्दा नदी में पपजसूँ मन्दाकनी नदी में अगस्त्य मुनि तथा धूयेली नामक स्थानों में झूलापुल निर्माण करने।
		19. तुनेटा भरदार में चीड़ की पत्तियों पर आधारित कोयला तथा गत्ता उद्योग लगाना।
		20. तिलवाडा जल विद्युत परियोजना विकास खण्ड जखोली, रूद्रप्रयाग जो वर्षों से बन्द पड़ी है उसे चालू करने।

—6

क.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		32. भटवाडी सैण तल्ला नागपुर में स्वीकृत उद्योग केन्द्र को विकसित करने।
		33. द्योलतीर (रानीगढ़) सिद्धसौड़ (बड़मा), चौरिया भरदार, किमाना फुटगढ़ में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोलने।
		34. सुदूर पिछड़े क्षेत्र रतूड़ा खेडीखाल भुनका रूद्रप्रयाग चिनग्वाड़ पावौं सेरा वाँसी, जवाडी भरदार मोटर मार्गों का निर्माण करना।
4.	श्री बिशन सिंह चुफाल (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया हैं" :–
		1. पिथौरागढ़ में बेरीनाग पुरानाथल तथा डीडीहाट आदिचौरा तथा नाचनी बांसवाड़ा मोटर मार्ग डामरीकरण के सम्बन्ध में।
		2. पिथौरागढ़ में भुजगढ़ नदी में सिरमाली के पास तथा नामिक नदी में झूला पुल के सम्बन्ध में।
		3. पिथौरागढ़ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरानाथल तथा जूनियर हाईस्कूल होकरा के उच्चीकरण के सम्बन्ध में।
		4. पिथौरागढ़ थल में महाविद्यालय खोलने,
		5. पिथौरागढ़ में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भट्टी गांव तथा राजकीय कन्या इण्टर कालेज डीडीहाट के भवन के संबंध में।
		6. पिथौरागढ़ में पर्यटक स्थल सिराकोट के सौन्दर्यकरण के संबंध में।
		7. पिथौरागढ़ में उडियारी तथा चौसला–लेक पेयजल के संबंध में।
		8. सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में सामुदायिक पॉलीटैक्नीक के संबंध में।
		9. पिथौरागढ़ में हवाई पट्टी के विस्तार के संबंध में।
		10. पिथौरागढ़ में पुराना थलतडी गांव मोटर मार्ग में राम गंगा नदी में मोटर पुल के संबंध में ।
		11. पिथौरागढ़ डीडीहाट में मिनी स्टेडियम के संबंध में
		12. पिथौरागढ़ में सगौड़ से बौगाड़ तक सड़क निर्माण के संबंध में।

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
5.	श्री हरभजन सिंह चीमा (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जायः– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया" :–
	1.	उत्तरांचल में निकट भविष्य में होने वाले ग्राम सभाओं व निकायों के चुनाव से पूर्व ग्राम सभाओं व निकायों का पुनर्गठन कराये जाने।
	2.	पिछले 30–35 वर्षों से अधिक समय से किसानों की जोत में चली आ रही वर्ग–4 की भूमिका नियमितिकरण किये जाने,
	3.	विधान सभा क्षेत्र जसपुर व काशीपुर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गए जलाशयों (डामों) से उठाये गए किसानों को बदले में दी गई अराजी के संबंधित किसानों के नाम बनाये गए पट्टों को तहसील रिकार्ड में अंकित कराये जाने के,
	4.	पिछले 40 वर्षों से मैदानी क्षेत्रों के गांवों में चल रहे प्राइमरी स्कूलों का उच्चीकरण कर कम से कम जू0 हा0 स्कूल का दर्जा दिये जाने,
	5.	विधान सभा क्षेत्र जसपुर काशीपुर की सरकारी क्षेत्र की लम्बे समय से बन्द पड़ी सूत मिलों को चलाये जाने के संबंध में।
6.	श्री अजय भट्ट (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जायः– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया" :–
	1.	पिथौरागढ़ में पुराना थल–तड़ीगांव मोटर मार्ग में रामगंगा नदी में मोटर पुल के संबंध में।
	2.	पिथौरागढ़, डीडीहाट में मिनी स्टेडियम के निर्माण,
	3.	पिथौरागढ़ में सगौड़ से बौगाड़ तक सड़क निर्माण,
	4.	पिथौरागढ़ में पर्यटन आकर्षण केन्द्र के रूप में मेंरई व थरकोट में कृत्रिम झील के निर्माण,
	5.	पिथौरागढ़ में पूर्व प्रस्तावित बहुउद्देशीय पार्क (अप्पूघर) के निर्माण किये जाने,
	6.	पिथौरागढ़ मुख्यालय में खेल विद्यालय की स्थापना किये जाने,
	7.	गंगोलीहाट (पिथौरागढ़) में धार्मिक महत्व के पौराणिक मंदिरों व विभिन्न प्राकृतिक गुफाओं को देखते हुए सम्पूर्ण क्षेत्र को धार्मिक क्षेत्र घोषित किये जाने,

—10

क्र.सं. प्रस्तावक का नाम संशोधन का रूप

6. पूर्व माध्यमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने,
7. प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने हेतु किसी योजना का उल्लेख नहीं किये जाने,
8. हरिद्वार नगर में शराबबन्दी प्रभावी रूप से लागू हो इसके संबंध में कार्य योजना बनाने,
9. हरिद्वार विधान सभा में कन्या डिग्री कालेज खोलने,
10. प्रदेश में हिन्दी विषय की डिग्री स्तर तक के लिए शिक्षा मुफ्त दिये जाने,
11. हरिद्वार में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना,
12. हरिद्वार में 2004 में लगने वाले कुम्भ के बारे में स्थाई निर्माण की योजना,
13. हरिद्वार में गंगा की पूर्णतः प्रदूषण मुक्त करने,
14. हरिद्वार में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना,
15. हरिद्वार में श्रमायुक्त कार्यालय की स्थापना,
16. हरिद्वार में हवाई पट्टी का विस्तार कर विमान सेवा प्रारम्भ किये जाने,
17. हरिद्वार में विशेष पौराणिक महत्व वाले क्षेत्र–सतीकुन्ज, सतीघाट, मायादेवी मंदिर दक्ष प्रजापति मंदिर, बिल्केश्वर मंदिर आदि को विकसित किये जाने,
18. हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर, चण्डी देवी मंदिर पैदल मार्ग पर टीन–शैड की व्यवस्था करने,
19. कनखल शमशान घाट पर विद्युत शव गृह के निर्माण,
20. हरिद्वार के जिला चिकित्सालय की खस्ता हालत सुधारने,
21. बरसात के मौसम में हरिद्वार के समस्त बाजार एवं अधिकांश मौहल्लों में पानी की निकासी,
22. हरिद्वार में अंतर्राज्जीय बस स्टेशन की स्थापना,
23. हरद्विार नगर में सिटी बस की व्यवस्था करने,
24. हरिद्वार नगरी में धर्मशालाओं को गृहकर, जलकर से पूर्णतः मुक्त किये जान,
25. हरिद्वार में हर की पेड़ी क्षेत्र को भिखारियों से पूर्णतः मुक्त करने,
26. हरिद्वार में मेडिकल कालेज खोलने,
27. हरिद्वार को एक औद्योगिक जिला घोषित किये जाने,
28. राज्य में गौ रक्षा आयोग के गठन।

क.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		9. जनपद चमोली के धार्मिक एवं दार्शनिक स्थल रूप कुण्ड, वैराज कुण्ड कार्तिक स्वामी में यात्रा हेतु सुगम मार्ग निर्माण,
10.	श्री मालचन्द्र (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न को सम्मिलित नहीं किया" :—
		1. सीमान्त जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मौरी के गंगाड क्षेत्र/पुरौला के सुनाली डेरीका के बाढ़ में खेतों का कटाव रोकने के लिए सुरक्षा दीवाल, पुल एवं सड़कों, नगदी फसलों का मुआवजा हेतु ठोस नीति बनाने,
		2. नगदी फसलों का काश्तकारों को उचित मूल्य दिलाने व नजदीकी मण्डी सुविधा के संबंध में।
		3. हिमाचल की तर्ज पर काश्तकारों को नगदी फसल के लिए शासन द्वारा उचित मूल्य देने हेतु समिति का गठन।
		4. पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या तथा शिष्यों के मानक में छूट देने हेतु स्कूलों का चयन,
		5. वन्य जीव गोविन्द पशु विहार हेतु क्षेत्र के समस्त विकास कार्यों में रूकावट हटाने के लिये कोई ठोस नीति बनाने,
		6. जूनियर हाईस्कूल/हाईस्कूल/कन्या जूनियर हाईस्कूलों के उच्चीकरण हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में निर्धारित मानक की छूट,
11.	श्री अनिल नौटियाल (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है" :—
		1. वर्तमान में कार्यरत समस्त शिक्षा बन्धुओं को उनके कार्यरत पदों पर ही नियमित किये जाने,
		2. जनपद चमोली के गैरसैण में डिग्रीकालेज में पद सृजन एवं भवन निर्माण,
		3. कर्णप्रयाग डिग्री कालेज हेतु भवनों की व्यवस्था एवं विज्ञान संकाय खोलने,
		4. गोचर में डाइट (राज्य शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान) भवन निर्माण,
		5. कर्णप्रयाग विधान सभा के दूरस्थ क्षेत्रों में सड़कों एवं पुलों के निर्माण,
		6. गढ़वाल विश्वविद्यालय में बी0एड0 प्रवेश परीक्षा शुल्क को कम करने,
		7. गौचर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना,

क.सं.	प्रस्तावक का नाम		संशोधन का रूप
14.	श्रीमती विजय बड़थ्वाल (उपस्थित किया जा चुका है)		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नही किया है" :–
		1–	महिलाओं के आर्थिक विकास के लिये ठोस योजनायें बनाने के लिये महिला उत्थान एवं कल्याण निगम के गठन,
		2–	यमकेश्वर विधान सभाक्षेत्र को मुख्य दो सड़को के लक्ष्मणझूला से विथाणी एवं चैलेसैण से घट्टूगाढ तक डामरीकरण,
		3–	उत्तरांचल की आबकारी नीति में महिलाओं की सहमति एवं विचार लेने,
		4–	जनपद पौड़ी में रा0इ0का0 एवं माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्यो के रिक्त पदों को भरने,
		5–	जनपद पौड़ी में कृषि योग्य भूकम के लिये सिंचाई के साधनो के विस्तारीकरण ,
		6–	यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र के महाबगढ़, भैरवगढ़ी, नीलकंठ यमकेशवर को तीर्थाटन, पर्यटन के लिये विकसित करने,
		7–	यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र में बालिका व्यवसायिक शिक्षा विद्यालय एवं बालिका हाईस्कूल एवं इण्टर कालेज खोलने,
		8–	नये राज्य उत्तरांचल में नई शिक्षा नीति निर्धारित करने,
		9–	यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कण्व आश्रम पोखरी पौखाल मोटर मार्ग निर्माण,
		10–	यमकेष्वर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास क्षेत्र द्वारीखाल के सिलोगी, कठूडबड़ा पम्पिंग योजना से पेयजल उपलब्ध कराने,
15.	श्री चन्द्रशेखर (उपस्थित किया जा चुका है)		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया":–
		1.	बिहारी गढ़ से सड़कों एवं पुलियां रोशनाबाद तक पहुँचाने,
		2.	डान्डा रांघडवाला में प्राईमरी स्कूल को बनवाने,
		3.	डान्डा जलालपुर में बिजली घर बनाने,
		4.	भूमि संरक्षण द्वारा भूमि को एकसार कराने,
		5.	ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर कक्षा 8वीं तक के स्कूल भी नहीं है वहाँ पर स्कूल बनवाने,
		6.	हरिपुर ग्राम व उसके आस–पास के गाँवों में बिजली की व्यवस्था करने,
		7.	पंजाब एवं हरियाणा की तरह ही भट्टा उद्योग पर उत्तरांचल में भी सेल्स कम किये जाने,
		8.	स्कूलों की समस्यायें (1) 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को कक्षा 10वीं तक किये जाने।

—16

क.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1.	श्री निजामुद्दीन	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जायः– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है।" 1. दिन प्रतिदिन बढ़ती आबादी की रोक थाम। 2. उर्दू एकेडमी की स्थापना। 3. जिन जिलों में उर्दू बोलने वाली की अच्छी संख्या है वहां उर्दू भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा देना। 4. दिन प्रतिदिन बढ़ते भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना। 5. टोंगिया किसानों की वन भूमि पर आबादकारी। 6. पोलीथीन पर पूरी तरह पाबन्दी लगाना।
2.	श्री बलबीर सिंह नेगी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जायः– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है।" 1. विश्व प्रसिद्ध सतलिंग ग्लेशियर, सहस्त्रताल क्यार्की बगियाण–पंवाली कोठा–कुश कल्याण–महासत्रताल, माणिकनाथ, विश्वनाथ, जम दी शिला, हटकुणी व भजियाड़ ताल के पर्यटन विकास, 2. हुलाना खाल, चमियाला में और भौखाल में अलग विकास खण्ड खोलना, 3. भौखाल में डिग्री कालेज खोलना, 4. धमातोड़ी–अखोड़ी अपर केभर, मिलंग में फल पट्टी योजना लागू कर बनाना, 5. अपर केभर, बूढ़ाकेदार, धमातोली, पाख ग्राम में ऐलोपैथिक हस्पताल बनाना, 6. उत्तरांचल में उत्तरांचल राज्य निर्माण निगम का गठन करना, 7. लिफ्ट सिंचाई योजना (देवढ) पश्चिमी मिलंग, पियोला, बणचूरी में स्थापित करना, 8. घनसाली, कोटी–अखोड़ी–धमातोली–पंवली मो0 मार्ग, घुनसाली घुतु मोटर मार्ग, घनसाली–बिनकखाल, मूलगढ़–थार्ती ठेला जण्डसेखाल मो0 मार्ग लाटा–नागेश्वर–सौड़ मो0 मार्गों का डामरीकरण करना, 9. पदोखा–बालगंगा नदी पर दोणी मिलंगना नदी पर कोटी अंगुड़ा, चन्दियाल बाल गंगा पर बौर–सेन्दुल मिलंगना पर झूला पुलों का निर्माण करवाया जाय, 10. कोटी–धर्मगंगा पर बनोली गोनेढ़ कोट बालगंगा पर लघु जल विद्युत परियोजना, श्री कोट चनियाला लघु जल विद्युत योजना,

---18

क.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8. किसानों की समस्या का निराकरण करने की योजना, 9. व्यापारी और उद्योगपति का पलायन रोकने व उनकी सुरक्षा, 10. महंगाई पर अंकुश, 11. कर्मचारी वर्ग की मूलभूत सुविधायें, 12. एल.टी.सी. जीवन पर्यन्त सर्विस में तीन टूर एवं प्रत्येक वर्ष में एक माह की तनख्वाह का नकदीकरण।
4.	श्री हरबन्स कपूर	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जायः— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में निम्न उल्लेख नहीं किया गया है।" 1. कि, नगर निगम, नगर पालिकाए एवं नगर पंचायतों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की संख्या क्षेत्र के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या पर निर्धारित की जाय। 2. कि उत्तरांचल की अस्थायी राजधानी देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेलकूद का स्टेडियम बनाया जाय। 3. कि गोरखा जाति नवयुवकों को सेना एवं पुलिस में भर्ती में कद के मानकों में शिथिलता बरती जायेगी। 4. के उत्तरांचल की अस्थायी राजधानी देहरादून में बढ़ती यातायात से उत्पन्न गम्भीर समस्या के निदान के लिए मास्टर प्लान बनाया जायेगा और आवश्यकता के अनुसार नये मार्गों तथा फ्लाई आवर का निर्माण किया जाय। 5. कि अस्थायी राजधानी बनने के पश्चात् देहरादून में स्थाई एवं फ्लोटिंग जनसंख्या के कारण उत्पन्न पेयजल संकट के समाधान हेतु पेयजल से सम्बन्धित महायोजना का निर्माण किया जाय एवं आवश्यक पर्याप्त पेयजल आपूर्ति हो सके इसकी व्यवस्था युद्ध स्तर पर की जाय। 6. कि देहरादून की कूड़ा करकट के निस्तारण की गम्भीर समस्या को देखते हुए इसके निस्तारण की स्थाई व्यवस्था की जाय।